



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 24, 1981/माघ 4, 1902

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 24, 1981/MAGHA 4, 1902

सं० 41]

No. 41]

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

श्रम मंत्रालय  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 1981

कां०आ० 51/(अ):—केन्द्रीय सरकार, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) की धारा 6 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

सलाहकार समिति :

- श्री एन डी० तिवारी,  
श्रम मंत्री, सदस्य
- श्रीमती रामदुलारी सिन्हा,  
श्रम राज्य मंत्री, उपसदस्य
- श्री के०एस० रघुपति,  
सचिव, श्रम मंत्रालय, सदस्य पदेन
- श्री गुलाम हुसैन, महानिदेशक,  
नियोजन और प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय, -प्रयोक्त-
- श्री ईश्वरी प्रसाद,  
मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), -प्रयोक्त-
- कुमारी एम० सेठ, महिला सेल की  
भारसाधक संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय, -प्रयोक्त-

- श्रीमती निर्मला बुब, संयुक्त सचिव,  
समाज कल्याण मंत्रालय, सदस्य पदेन
- श्री डी०के० मकवाना, उप सलाहकार,  
श्रम और नियोजन खण्ड, योजना आयोग, -प्रयोक्त-
- श्री एच०एच० तथ्यवती, निदेशक,  
उद्योग मंत्रालय, -प्रयोक्त-
- श्री डी०आर० मेहता,  
संयुक्त सचिव (श्रीयोगिक संबन्ध)  
वैककारी खण्ड, आर्थिक कार्य विभाग, -प्रयोक्त-
- श्री के० वी० श्रीनिवासन,  
संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, -प्रयोक्त-
- डा० राजेन्द्र कुमारी दाजगी,  
संसद-सदस्य, 30, यू०पी० निवास,  
नई दिल्ली-110001, -प्रयोक्त-
- श्रीमती सुजीता गोपालन,  
संसद-सदस्य, 20-जनपथ, नई दिल्ली-110001, -प्रयोक्त-
- श्रीमती गीता मुकजी, संसद-सदस्य,  
5, किरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001, -प्रयोक्त-
- श्रीमती कृष्णा साही, संसद-सदस्य,  
55-57, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001, -प्रयोक्त-